समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

'भगवान विष्णु से कहिए' टिप्पणी पर CJI बीआर गवई ने दी सफाई, बोले- मै संभी धर्मों का सम्मान करता हूं

Publisher

Published on 18 Sep 2025

भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) बीआर गवई ने हाल ही में की गई अपनी विवादित टिप्पणी '**भगवान विष्णु से कहिए**' के संबंध में सफाई दी। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में बहस तेज हो गई थी। CJI गवई ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था और वे **सभी धर्मों का सम्मान करते है।**

टिप्पणी का संदर्भ

CJI गवई की यह टिप्पणी **खजुराहो मामले** के दौरान मीडिया में सामने आई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि संबंधित पक्ष को '**भगवान विष्णु से कहिए**'। यह बयान कुछ समूहों और धार्मिक संगठनों द्वारा **संवेदनशील और विवादास्पद** बताया गया। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर यह टिप्पणी तेजी से चर्चा में आ गई।

CJI गवई की सफाई

CJI बीआर गवई ने मीडिया से बातचीत में कहा:

> "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरी टिप्पणी किसी भी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं थी।"

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका का **कर्तव्य निष्पक्षता और संवेदनशीलता** के साथ न्याय करना है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी धार्मिक विवाद को न्यायिक प्रक्रिया में **सकारात्मक और निष्पक्ष दृष्टिकोण** से देखना चाहिए। CJI ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल **सुनवाई के संदर्भ मे संटीक जानकारी देना** था।

खजुराहो मामला और संवेदनशीलता

खजुराहो मामले ने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को एक बार फिर सामने लाया।

- इस मामले में **धार्मिक प्रतीक और परंपराओं का सम्मान** महत्वपूर्ण मुद्दा था।
- न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सभी पक्षों के दृष्टिकोण का **समान रूप से सम्मान और मूल्यांकन** किया जाए।
- CJI गवई ने कहा कि न्यायपालिका हमेशा **सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील** रहेगी।

सार्वजनिक और मीडिया प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर विभिन्न समूहों ने इस टिप्पणी को लेकर **विवाद और चर्चा** की। कुछ ने इसे हल्के में लिया और कहा कि यह केवल **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति** थी। वहीं, कुछ धार्मिक संगठनों ने यह मांग की कि न्यायपालिका अपनी **भाषा मे अंधिक सावधानी** बरते।

विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायपालिका के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति की **हर टिप्पणी** आम जनता और मीडिया द्वारा **विस्तार से scrutinize** की जाती है।

CJI का दृष्टिकोण

CJI गवई का कहना है कि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य **कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय देना** है।

- किसी भी तरह की टिप्पणी को **राजनीतिक या धार्मिक विवाद** में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
- न्यायपालिका सभी नागरिकों और धर्मों के प्रति **समान सम्मान और संवेदनशीलता** बनाए रखती है।
- उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को हमेशा **समानता और तटस्थता** के सिद्धांतों के तहत कार्य करना चाहिए।

विशेषज्ञों की राय

कानून और धर्म विशेषज्ञों का मानना है कि CJI की सफाई से यह स्पष्ट होता है कि **उच्च न्यायालय सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है।** ऐसे मामलों में न्यायपालिका की **संवेदनशीलता और संतुलन** बनाए रखना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि न्यायाधीशों के बयान **सार्वजनिक विश्वास** बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

CJI बीआर गवई की टिप्पणी और उसके बाद की सफाई ने यह संदेश दिया कि:

1. न्यायपालिका सभी धर्मों और समुदायों के प्रति **सम्मान और संवेदनशीलता** बनाए रखती है।
2. 'भगवान विष्णु से कहिए' जैसी टिप्पणियाँ **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति** के रूप में देखी जानी चाहिए, न कि विवादास्पद।
3. न्यायपालिका की प्राथमिकता हमेशा **निष्पक्षता, कानून और समानता** होती है।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में **धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता** पर चर्चा हमेशा बनी रहेगी। न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी बयान **सभी धर्मों के प्रति सम्मानजनक और तटस्थ** हो।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.